

परिशिष्ट (स)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.8(च)नियम/स्वा.शा.वि./96/6839

जयपुर दिनांक 17-1-97

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 299 की शक्तियों की प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 171 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियों निम्नलिखित क्षेत्र के लिए नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रत्यायोजित करती है।

फतहसागर झील के ईदगिर्द निर्माण निषेध क्षेत्र :

स्वरूप सागर पुलियों से पूर्व दिशा में मिसन कम्पाउण्ड, गोगुन्दा हाउस को शामिल करते हुये दैत्य मगरी रोड़ से होते हुये सहेली मार्ग तक जिसमें वार्ड सं. 21 का सम्पूर्ण क्षेत्र है। सहेली मार्ग पर स्थित स्वरूप सागर व फतहसागर के नाले के संगम स्थल से सहेली मार्ग के सहारे सहारे होते हुये नगर विकास प्रन्यास कार्यालय भवन, सहेलियों की वाड़ी रोड़ को शामिल करते हुये विद्या भवन स्कूल के स्टाफ क्वार्टर तक। यहाँ से विद्या भवन स्टाफ क्वार्टर, विद्या भवन स्कूल तथा आबादी भूमि को बाहर छोड़ते हुये, सहेलियों की वाड़ी के बाहरी परकोटे के साथ साथ बोर्दियों की वाड़ी को बाहर छोड़ते हुये विद्या भवन स्कूल एवं विद्या भवन के कला संस्थान के मध्य की सड़क से होते हुये विद्या मार्ग पर। यहाँ से गोविन्द राम सेकसरिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर की बाहर छोड़ते हुये चिकलवास फीडर के सहारे सहारे चलते हुये तथा नीचम माता योजना व नीमच खेड़ा आबादी तथा देवाली के ख. नं. 1643 से 1659, 1630, 1628, 1399, 1396, 1367, 1369, 1370 को शामिल करते हुये हवाला खुर्द की सीमा तक। यहाँ से दक्षिण दिशा में हवाला खुर्द की सीमा के सहारे सहारे चलते हुए बड़ी रोड़ पर। बड़ी रोड़ से ग्राम हवाला खुर्द के ख. नं. 332, 333, 336, 335, 337, 339, 340, 341, 372, 377, 376, 382, 431, 432, 433, 441, 371, 442, 457, 458, 1315, 615, 614, 616, 612, 656, 657, 662, 666, 672, 671, 670, 1071 को शामिल करते हुये तथा ख.

3834, 3833 को शामिल करते हुये तथा 3822, 3821, 3820, 3817 को बाहर छोड़ते हुये ख. नं. 4043 के रास्ते पर। इस रास्ते से पूर्व दिशा में ख. नं. 4044, 4086, 4089, 4091, 4099, 4094, 4093, 4092 को शामिल करते हुये ख. नं. 4092 की उत्तरी पूर्वी सीमा की सीध में सीसारमा से आने वाले रास्ते तक। यहाँ से जल बुर्ज को जाने वाले रास्ते के सहारे-सहारे सेना विभाग की छावनी को बाहर छोड़ते हुये तथा ग्राम शहर के ख. नं. 393, 1903/393, 401 को शामिल करते हुये तथा माछला मगरा की चौटी पर बनी शहर कोट के सहारे सहारे होते हुये इसी सीध में उत्तर दिशा में स्थित ख. नं. 410, 411 को शामिल करते हुये समोर बाग व गुलाब बाग के बीच की सड़क तक। यहाँ से वार्ड नं. 23, 36, 22, 35, 34 के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुये तथा होटल राजदर्शन, हाथीपोल, मिट मार्केट को शामिल करते हुये झरिया रोड़ के सहारे-सहारे शिक्षा भवन स्कूल चौराहे पर। यहाँ से स्वरूप सागर को जानी वाली सड़क के सहारे-सहारे स्वरूप सागर पुलिया तक। यहाँ से दक्षिण में स्वरूप सागर के किनारे किनारे स्वरूप सागर की पाल से होते हुये शहर कोट के सहारे-सहारे चांदपोल दरवाजे तक के मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अजय सिंह)

उप शासन सचिव

स्वायत शासन विभाग

नं. 1070 रास्ते के सहारे-सहारे चलते हुये दक्षिण में राजस्व ग्राम हवाला कला की सीमा तक । यहाँ से ग्राम हवाला कला के ख. नं. 141, 142, 143, 148, 146, 145 को शामिल करते हुये तथा ग्राम हवाला कला की आवादी भूमि के ख. नं. 113 का बाहर छोड़ते हुये दक्षिण दिशा में ग्राम सीसारमा की राजस्व सीमा तक। यहाँ से ग्राम सीसारमा की राजस्व सीमा के सहारे सहारे पूर्व दिशा में चलते हुये ख. नं. 1642, 1643, 1650, 1649, 1654, 1721, 1727, 1730, 1733, 1734, 1853, 1854, 1860, 1861, को सम्मिलित करते हुये ख. नं. 2136 रास्ते के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा में चलते हुये ख. नं. 2196 तक । यहाँ से ख. नं. 2194, 2250, 2252 को शामिल करते हुए सज्जनगढ़ रोड़ तक । यहाँ से पूर्व दिशा में मुल्ला तलाई तथा आगे ब्रह्मपोल को जाने वाली सड़क के सहारे सहारे चलते हुए ओ.टी.सी. विस्तार योजना के ए.सी व डी, ब्लॉक कालवेलियाँ कॉलोनी, अम्बामाता योजना, मास्टर कालोनी, भट्टवाड़ी को शामिल करते हुये ब्रह्मपोल तक । यहाँ से कुम्हारिया तालाब के उत्तर दिशा के किनारे किनारे चलते हुये अम्बामाता पुलिया तक । यहाँ से रंग सागर, स्वरूप सागर के किनारे-किनारे चलते हुये तथा यादव बस्ती, छैल बस्ती, अम्बागढ़ योजना, अल्कापुरी तथा ग्राम उदयपुर शहर के ख. नं. 279, 278 को शामिल करते हुये स्वरूप सागर की पुलिया तक के मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र ।

पिछोला झील के इर्द-गिर्द निर्माण निषेध क्षेत्र :-

चांदपोल दरवाजे से पश्चिम में पुलिया पार कर रंग सागर के सहारे-सहारे अम्बापोल तक। अम्बापोल से कुम्हारिया तालाब के सहारे-सहारे ग्राम उदयपुर शहर के ख. नं. 158 को शामिल करते हुये मुल्ला तलाई चौराहा को जाने वाली सड़क के सहारे-सहारे होते हुये मुल्ला तलाई चौराहे तक । यहाँ से सज्जनगढ़ को जाने वाली सड़क के सहारे-सहारे हरीदास जी की मगरी नामी भूमि, भील कॉलोनी, एकलव्य कॉलोनी, ओ.टी.सी. "बी" ब्लॉक तथा राजस्व ग्राम सीसारमा के ख. नं. 2418, 2419, 2425 को शामिल करते हुये सीसारमा रोड़ तक । यहाँ से ख. नं. 2827 2819 के रास्ते से होते हुए ख. नं. 2824 को बाहर छोड़ते हुए ख. नं. 2873, 2620 व 2640 के रास्ते से होते हुए ख. नं. 2644 को शामिल करते हुये ख. नं. 2652, 2658 को बाहर छोड़ते हुये तथा 2660 को शामिल करते हुये सीसारमा जाने वाली सड़क तथा ख. नं.